भारत सरकार

गृह मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1383**

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

**अग्नि सुरक्षा उपाय**

**†1383. श्री अर्का केशरी देव:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता चला है कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में व्यावसायिक भवनों के साथ-साथ सरकारी स्वामित्व वाले भवनों द्वारा अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे भवनों में आग लगने की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं तथा अग्नि दुर्घटनाओं में कुल कितने व्यक्ति हताहत हुए है; और

(घ) अग्नि सुरक्षा के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऊंचे भवनों में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

**(क) और (ख): सरकारी के साथ-साथ ऐसे ऊंचे व्यावसायिक भवनों को, जिनका निर्माण भवन निर्माण मंजूरी प्राधिकरण (दिल्ली नगर निगमों, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली छावनी बोर्ड एवं नई दिल्ली नगर पालिका परिष्द) से मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात किया गया है, दिल्ली भवन उप-नियम-1983 के लागू होने के बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा से क्लीयरेंस मिली हुई है। वर्ष 1983 से पूर्व निर्मित भवनों की भी दिल्ली फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी एक्ट 1986 एवं नियम 1987 के प्रावधानों के अधीन जांच की गई है और उन्हें प्रावधानों के अनुपालन के पश्चात अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी िकए गए हैं।**

**.....2/-**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1383

(ग): विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आग लगने की घटनाओं में मारे गए/घायल हुए लोगों की कुल संख्या के साथ-साथ ऐसे भवनों में सूचित आग लगने की घटनाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:

| वर्ष | अग्नि दुर्घटनाओं की संख्या | मारे गए व्यक्तियों की सं. | घायल व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1105 (15.11.2014 तक) | 06 (15.11.2014तक) | 15 (15.11.2014 तक) |
| 2013 | 1366 | 16 | 32 |
| 2012 | 1366 | 04 | 01 |
| 2011 | 1345 | 29 | 60 |

(घ): दिल्ली सरकार ने दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 और दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया है, जो दिल्ली में भवनों में आग एवं जीवन रक्षा से संबंधित अधिक व्यापक विधायन हैं और ये अधिनियम एवं नियम दिनांक 01.07.2010 से लागू हुए हैं और भवन निर्माण दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2010 के नियम 27 के अधीन कवर होते हैं। उक्त अधिनियम एवं नियमों में व्यावसायिक भवनों के संबंध में प्रत्येक तीन वर्ष में तथा रिहाइशी भवनों के संबंध में प्रत्येक पांच वर्ष में अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र के नवीकरण की भी आवश्यकता होती है।

सभी ऊंचे भवन, जिनका निर्माण उक्त अधिनियम व नियमों के लागू होने अर्थात् दिनांक 01.07.2010 से पूर्व हुआ है, उनका विनियमन भवन के निर्माण के समय प्रभावी रहे संगत अग्नि सुरक्षा मानकों के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। ये उपाय भवनों में उपयुक्त अग्नि सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो क्षति को रोकने/कम करने में सहायक होंगी।

***